

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 16]

नवा रायपुर, सोमवार, दिनांक 12 जनवरी 2026 — पौष 22, शक 1947

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 9 जनवरी 2026

अधिसूचना

क्रमांक ESTB-2035/147/2025-HEALTH SECTION-2.— औषधि एवं प्रशासन सामग्री नियम, 1945 के नियम 59 के उप-नियम (1) एवं नियम 67A के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की पूर्व अधिसूचना क्रमांक एफ 25-11/2015/नौ/55-4, दिनांक 15 अक्टूबर, 2015 के अनुसरण में, राज्य शासन, एतद्वारा, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़ में कार्यरत् निम्नलिखित सहायक औषधि नियंत्रकों एवं सहायक संचालकों (औषधि) को, उक्त नियम के Part VI एवं VIA के प्रयोजन हेतु उनकी संबंधित अधिकारिता के भीतर के क्षेत्रों के लिए अनुज्ञापन प्राधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त करती है अर्थात्:—

स.क्र.	अधिकारी का नाम	पद का नाम
1	श्री पीताम्बर कुमार साहू	सहायक औषधि नियंत्रक
2	श्री महेन्द्र कुमार देवांगन	सहायक औषधि नियंत्रक
3	श्री किशोर कुमार ठाकुर	सहायक औषधि नियंत्रक
4	श्रीमती मेरी श्रुति लकड़ा	सहायक औषधि नियंत्रक
5	श्री जितेंद्र पाटीदार	सहायक औषधि नियंत्रक
6	श्री रत्नेश कुमार बरगाह	सहायक संचालक (औषधि)
7	श्री बृजराज सिंह	सहायक संचालक (औषधि)
8	श्री सुमित सिंह परिहार	सहायक संचालक (औषधि)
9	श्री राम बृजेश प्रजापति	सहायक संचालक (औषधि)
10	श्री पियुष कुमार जायसवाल	सहायक संचालक (औषधि)
11	डॉ. परमानंद वर्मा	सहायक संचालक (औषधि)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 9 जनवरी 2026

क्रमांक ESTB-2035/147/2025-HEALTH SECTION-2.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 9-01-2026 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 9th January 2026

NOTIFICATION

No. ESTB-2035/147/2025-HEALTH SECTION-2.— In exercise of the powers conferred by sub rule (1) of rule 59 and sub-rule (1) of rule 67A of the Drugs & Cosmetics Rules, 1945 and in pursuance of the Department's previous Notification No. F 25-11/2015/IX/55-4, dated 15 October, 2015, the State Government, hereby, appoints the following Assistant Drug Controller and Assistant Director (Drug) working in the Food and Drugs Administration, Chhattisgarh to act as Licensing Authority for the purposes of Part VI and VI(A) of the said Rules for the areas within their respective jurisdiction, namely:-

S.No	Name of Officer	Name of Post
1.	Shri Pitambar Kumar Sahu	Assistant Drug Controller
2.	Shri Mahendra Kumar Dewangan	Assistant Drug Controller
3.	Shri Kishor Kumar Thakur	Assistant Drug Controller
4.	Smt. Mary Sruti Lakra	Assistant Drug Controller
5.	Shri Jitendra Patidar	Assistant Drug Controller
6.	Shri Ratnesh Kumar Bargah	Assistant Director (Drug)
7.	Shri Brijraj Singh	Assistant Director (Drug)
8.	Shri Sumit Singh Parihar	Assistant Director (Drug)
9.	Shri Ram Brajesh Prajapati	Assistant Director (Drug)
10.	Shri Piyush Kumar Jaiswal	Assistant Director (Drug)
11.	Dr. Parmanand Verma	Assistant Director (Drug)

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
AMIT KATARIA, Secretary.